| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**सुनिल सोनी बनाम लोक सूचना अधिकारी(अति.संभागीय आयुक्त, जयपुर)**<br>**अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2023/344** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 04.10.23 | पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही तथा लोक सूचना अधिकारी कार्यालय हाजा की टिप्पणी पत्रांक 378 दिनांक 26.09.2023 प्राप्त जिसमें उन्होने अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा आरटीआई आवेदन मे एक बिन्दू पर सूचना चाही गई जो निम्न प्रकार है कि ''मुझे आपके कार्यालय के समक्ष ग्राम पंचायत मीरण, पूर्व पंचायत समिति लक्ष्मणगढ वर्तमान पंचायत समिति नेछवा, जिला सीकर से सम्बन्धित दिनांक 01.01.2020 से आज दिनांक 12.05.2023 तक प्राप्त समस्त शिकायतों /प्रकरणों पर दिनांक 01.01.2022 से आज दिनांक 12.05.2023 तक की गई कार्यवाही/आर्डर व समस्त पत्रावलियों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराऐं''। उन्होने अपनी टिप्पणी में यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 234 दिनांक 22.06.2023 के द्वारा जवाब प्रेषित किया गया है कि ''आप द्वारा वांछित सूचना जॉच (Enquiry) के प्रकटन से सम्बन्धित है जिसके प्रदान किय जाने से जॉच कार्यवाही की प्रक्रिया में अड़चन एवं विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका है तथा इस तरह की सूचंना को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(H) के तहत प्रदान किया जाना आवश्यक नही है।''<br><br>अतः अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना को सूचना का अधिनियम 2005 की 8(1)(H) के तहत प्रदान किया जाना आवश्यक नही होने के कारण नही दी गई। कृपया अपील का खारिंज कराने का श्रम करावें।<br><br>हमने पत्रावली रिकार्ड का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना जॉच (Enquiry) के प्रकटन से सम्बन्धित है जो सूचना का अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(H) के तहत प्रदान किया जाना आवश्यक नही होने के कारण नही दी गई है तथा इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 234 दिनांक 22.06.2023 द्वारा अपीलार्थी को अवगत भी कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है।<br><br>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवायी जावें तथा पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।<br><br>(डॉ0आरुषी मलिक)<br>संभागीय आयुक्त<br>संभागीय आयुक्त<br>जयपुर | |